संख्या-1149/2026/437/22-2-2026-17(230)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 01 सितम्बर, 2026

विषय:- नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी देवश्री पत्नी श्री संतोष कुमार शुक्ला, निवासिनी जनपद-लखीमपुर खीरी की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-9469/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 09.02.2026, दिनांक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी देवश्री पत्नी श्री संतोष कुमार शुक्ला, गोविन्दनगर, थाना-कोतवाली सदर, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण दिनांक 01.03.2016 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी बहू के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। जिसकी उपचार के दौरान दिनांक 11.05.2016 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-701/2016, धारा-302/34, 498ए आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-05, लखीमपुर खीरी के दण्डादेश दिनांक 12.09.2025 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में महिला बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक-08.10.2025 तक अपरिहार 07 माह तथा 07 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 08.10.2025 तक 69 वर्ष है।

3- सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती देवश्री पत्नी श्री संतोष कुमार शुक्ला की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार महिला बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 08.10.2025 तक अपरिहार 07 माह, तथा सपरिहार 07 माह की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नारी बन्दी निकेतन लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी देवश्री (बन्दी संख्या-2904) पत्नी श्री संतोष कुमार शुक्ला, निवासिनी जनपद-लखीमपुर खीरी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1149/2026/437(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

2- अधीक्षक, नारी बन्दी निकेतन लखनऊ!

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।